

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 29/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

ए. यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

- ऋणी
1. ओम प्रकाश पुत्र पूरण,
पता:— निवासी 350, चिमनपुरा, सिरोंही, तहसील नीमकाथाना सीकर राजस्थान 332714।
दूसरा पता:— पट्टा नं. 79, मिसल नं. 52, गांव सिरोंही, तह. नीमकाथाना, जिला सीकर।
 2. सीता देवी पत्नी ओम प्रकाश,
पता:— निवासी 350, चिमनपुरा, सिरोंही, तहसील नीमकाथाना सीकर राजस्थान 332714।
सहऋणी
 3. महेन्द्र कुमार भार्गव पुत्र पूरणमल,
पता:— निवासी 350, चिमनपुरा, सिरोंही, तहसील नीमकाथाना सीकर राजस्थान 332714।
जमानती


The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of
security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 17 अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द कुल्हरी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण ओम प्रकाश, सीता देवी, महेन्द्र कुमार भार्गव को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में पट्टा नं. 79, मिसल नं. 52, गांव सिरोंही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, जिसकी नाप 293.42 वर्गगज, जो कि मालिकाना हक ओम प्रकाश भार्गव के नाम से है, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में सरकारी पी.एच.सी. सिरोंही, उत्तर मकान मन्ना लाल और रतन लाल मीणा का, दक्षिण में मकान महेन्द्र भार्गव का, को बंधक रखकर 3,00,000/-रूपये (अक्षरे रूपये तीन लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.07.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of




जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 21.07.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ओम प्रकाश, सीता देवी, महेन्द्र कुमार भार्गव की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक पट्टा नं. 79, मिसल नं. 52, गांव सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, जिसकी नाप 293.42 वर्गगज, जो कि मालिकाना हक ओम प्रकाश भार्गव के नाम से है, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में सरकारी पी.एच.सी. सिरोही, उत्तर मकान मन्ना लाल और रतन लाल मीणा का, दक्षिण में मकान महेन्द्र भार्गव, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांक: 17 अप्रैल, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर